

// गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर [म०प्र०] //

क्रमांक 2148/प्रशासन/स्थापना/96.

दिनांक 20.9.96.

आदेश

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.9.96 में म०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 [क्रमांक 22-1973] की धारा 49 के प्रावधानानुसार लिए गये निर्णय के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद, वेतनमान एवं विषय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो परिवीक्षा अवधि विहित प्रावधानों के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। इनकी सेवायें विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।

इनका वेतनमान मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

क्र०	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण
1.	डॉ० श्रीमती रश्मी अग्रवाल	व्याख्याता	2200-75-2800- 100-4000	फारेस्ट्री	
2.	डॉ० शिव शंकर धूरिया	---//---	---//---	---//---	सुरक्षित पद [ओ०बी०सी०]

कार्यपरिषद के आदेशानुसार,

[प्र० एच०एल० गुप्ता]
कुलसचिव,

दिनांक 20.9.96.

पृ०क्र० 2149 /प्रशासन/स्थापना/96.

प्रतिलिपि :-

- (1)- [1] डॉ० श्रीमती रश्मी अग्रवाल
(2) [2] डॉ० शिव शंकर धूरिया

को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, यदि सेवा में हो, तो पूर्व नियोजक या अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

- {2} कुलाधिपति के सचिव, म0प्र0 राजभवन भोपाल.
 {3} सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली.
 {4} प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.
 {5} आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 शासन भोपाल.
 {6} वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर.
 {7} कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी के सूचनार्थ.
 {8} उप-कुलसचिव (प्रशासन विभाग) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु/संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना दे ।



कुलसचिव,

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (म0प्र0)